रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 2004/कार्तिक 8, 1926
No. 480] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 2004/KARTIKA 8, 1926

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 721(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 की उपधारा (2) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपील अधिकरण में कतिपय पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, और उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा की अन्य शर्तें.**—विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की अन्य शर्तें जिनके लिए कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे नियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो तत्समान वेतनमान में वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. रजिस्ट्रार	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	18400-500-22400 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में 16400-20000 रुपए या समतुल्य वेतनमान के पद पर नियमित रूप से दो वर्ष सेवा की है; और (ग) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में 14300-18300 रुपए या समतुल्य वेतनमान के पद पर नियमित रूप से तीन वर्ष सेवा की है; या (2) ऐसे अधिकारी जो जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार/अपर रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार के पद धारण किए हुए हैं।	**विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :** (i) अपील अधिकरण का अध्यक्ष —अध्यक्ष (ii) अपील अधिकरण के दो ज्येष्ठतम अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

73

1	2	3	4	5	6
2. उप-रजिस्ट्रार	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	12000-375-16500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
(1) ऐसे अधिकारी जो विधि की डिग्री धारण किए हुए हैं; और (क) जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में 10000-325-15200 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से पांच वर्ष सेवा की है; या ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा है; या उच्च न्यायालयों में अपर रजिस्ट्रार/संयुक्त रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के पद धारण किए हुए ऐसे अधिकारी जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के अध्यक्ष, दो सदस्यों और रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
3. कोर्ट मास्टर	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में श्रेणी 'क' पद के समतुल्य	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
(1) ऐसे अधिकारी जिनके पास स्नातक डिग्री या समतुल्य है। (2) जो आशुलिपि (अंग्रेजी) में 120 श.प्र.मि. की गति रखते हैं। (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-175-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से पांच वर्ष सेवा की है।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
4. प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	10000-325-15200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 8000-275-13500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से पांच वर्ष सेवा की है। (iii) जिन्होंने 6500-200-10500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से आठ वर्ष सेवा की है; या (ख) जो प्रशासनिक और स्थापन में कार्यकारी और अधीक्षण स्तर के मामलों में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री रखते हों।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के अध्यक्ष, दो सदस्यों और रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
5. प्रधान निजी सचिव	4* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	केन्द्रीय सरकार में श्रेणी 'क' पद के समतुल्य	10000-325-15200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 6500-10500 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से आठ वर्ष सेवा की है। (iii) जो आशुलिपि में 100 श.प्र.मि. (अंग्रेजी/हिन्दी) की गति रखते हों।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के अध्यक्ष, दो सदस्यों और रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

75

1	2	3	4	5	6
6. निजी सचिव	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में श्रेणी 'ख' पद के समतुल्य	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से छः वर्ष सेवा की है; या (iv) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से आठ वर्ष सेवा की है। (ख) जो आशुलिपि में 100 श.प्र.मि. (अंग्रेजी/हिन्दी) की गति रखते हों।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
7. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से तीन वर्ष सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 5000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से छः वर्ष सेवा की है; या (iv) जिन्होंने 4500-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से आठ वर्ष सेवा की है। (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री रखता हो; (ii) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष का अनुभव।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
8. लेखाकार	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से दस वर्ष सेवा की है; या (ख) लेखाकर्म/स्थापना/प्रशासनिक कार्य आदि से सुपरिचित हो।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
9. सहायक	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से दस वर्ष सेवा की है।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
10. निजी सहायक	5* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ख' पद के समतुल्य	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 4000-6000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित रूप से आठ वर्ष सेवा की है; या (ख) जो आशुलिपि में 100 श.प्र.मि. (अंग्रेजी/हिन्दी) की गति रखते हों।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
11. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3050-4590 रु. या समतुल्य वेतनमान में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) जो आशुलिपि में 100 श.प्र.मि. (अंग्रेजी/हिन्दी) की गति रखते हों।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
12. रोकड़िया	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'ग' पद के समतुल्य	3050-75-4590 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

12	13	14
केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मंत्रालय/विभाग में रोकड़ और लेखा कार्य का अनुभव।	चयन विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा (जो अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार और प्रशासनिक-सह-लेखा अधिकारी से मिलकर बनेगी)।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23/64/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

78

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2004

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain posts in the Appellate Tribunal for Electricity, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Other conditions of service.**—Other conditions of service of the officers and employees of the Appellate Tribunal for Electricity, for which no specific provisions have been provided, shall be regulated in accordance with such rules as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government Group drawing the pay and allowances in corresponding scales of pay.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Registrar	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Gr. 'A' post in the Central Government	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruitment	Education and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
1. Officers of the Central Government or State Government possessing degree in law and holding (a) analogous posts in Central Government/State Government/High Court on regular basis; or (b) Post in Central/State Government/High Court with two years regular service in the scale of Rs. 16400-20000 or equivalent; (c) Post in Central/State Government/High Court, with three years regular service in the scale of Rs. 14300-18300 or equivalent or 2. Officers holding posts of District Judge/Additional District Judge/Registrar/Additional Registrar/Joint Registrar of High Courts.	Selection Committee (consisting of) (i) Chairperson of the Appellate Tribunal —Chairman (ii) Two seniormost members of the Appellate Tribunal as —Members	Not applicable

1	2	3	4	5	6
2. Deputy Registrar	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Rs. 12000-375-16500	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
1. Officers possessing degree in law and holding (a) analogous posts in Central Government/State Government/High Court on regular basis; or (b) with five years regular service in the scale of Rs. 10000-325-15200 or equivalent; or judicial officers with minimum service of 8 years officers holding posts of Additional Registrar/Joint Registrar/Deputy Registrar in High Courts with at least five years regular service.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Chairperson 2 members and Registrar of the Appellate Tribunal).	Not applicable

3265 GI-04—3

1	2	3	4	5	6
3. Court Master	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Rs.6500-200-10500	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
(1) Officers possessing a bachelors degree or equivalent. (2) having speed of 120 wpm in shorthand (English) (i) holding analogous posts on regular basis or (ii) with five years regular service in the scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Apppellate Tribunal)	Not applicable

1	2	3	4	5	6
4. Adminis-trative-cum-Accounts Officer	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Rs.10000-325-15200	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officer under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the scale of Rs. 8000-275-13500 or equivalent; (iii) with eight years regular service in the scale of Rs. 6500-200-10500 or equivalent. (b) Possessing a Bachelor degree with at least five years experience in administrative and establishment matters at the executive or supervisory level.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising chairperson two Members and Registrar of the Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
5. Principal Private Secretary	4* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post in the Central Government.	Rs.10000-325-15200	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent. (b) Possessing speed of stenography 100 wpm (English/ Hindi).	Selection will be made by the Selection Committee (comprising chairperson two Members and Registrar of the Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
6 Private Secretary	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Rs.6500-200-10500	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis;or (ii) with three years regular service in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; or (iii) with six years regular service in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or (iv) with eight years regular service in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent. (b) Possessing speed stenography 100 wpm (English/Hindi).	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum Accounts Officer of the Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
7 Librarian	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

(82)

12	13	14
Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in the scale of Rs. 5500-9000 or equivalent; or (iii) with six years regular service in the scale of Rs. 5000-8000 or equivalent; or (iv) with eight years regular service in the scale of Rs. 4500-7000 or equivalent. (b) (i) Possessing a degree in Library Science from a recognized University. (ii) 5 years experience as Librarian/Assistant Librarian in a reputed Library.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal)	Not applicable

1	2	3	4	5	6
8 Accountant	1* (2004) *Subject to variation dependant on workload	Equivalent to Gr. 'B' post in the Central Government	Rs.5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with ten years regular service in the scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; (b) should be well versed with Accounts/ Establishment/Administration work etc.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
9 Assistant	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'B' post in the Central Government	Rs.5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with ten years regular service in the scale of Rs. 4000-6000 or equivalent;	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
10. Personal Assistant	5* (2004) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Gr. 'B' post in the Central Government	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with eight years regular service in the scale of Rs. 4000—6000 or equivalent; (b) Possessing speed of stenography of 100 w.p.m. (English/Hindi)	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal).	Not applicable

1	2	3	4	5	6
11. Steno Gr. D	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Lower Division Clerk with five years regular service in the scale of Rs. 3050—4590 or equivalent; (b) Possessing speed of stenography of 100 w.p.m. (English/Hindi)	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal)	Not applicable

1	2	3	4	5	6
12. Cashier	1* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post in the Central Government	Rs. 3050-75-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

12	13	14
Officer under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) Experience of cash and accounts in the Ministry/Department.	Selection will be made by the Selection Committee (comprising Registrar and Administrative-cum-Accounts Officer of the Appellate Tribunal.)	Not applicable

[F. No. 23/64/2003-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.